

राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्ये

कार्मिक विभाग

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.7(8)कार्मिक/क-2/08 दिनांक 30.11.2012 जिसके द्वारा विशेष पिछड़ी 5 जातियों को राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में सीधी भर्ती हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम, 2008 के अनुसार दिये जाने संबंधी अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

II- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, उद्योग एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे:-

उद्योग विभाग

अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफ.लॉ-3/एलपीएम/6/1558 दिनांक 04 जनवरी, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम सामान्य विनियम, 2002 में संशोधन किया गया है;

आबकारी विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/12 पार्ट दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जिसके द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा को निर्यात (सैंडिंग आउट) के लिये लेबल अनुमोदन फीस में 80 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(29)वित्त/आब/2009 दिनांक 28 मई, 2013 जिसके द्वारा देय लाईसेंस फीस फॉर होलसेल बेण्ड से मैसर्स राजस्थान ब्रेवरी लिमिटेड, बहरोड़, अलवर को दिनांक 4.2.2002 से 31.3.2011 तक छूट प्रदान की गई है ।

जारी..2..

III- श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

परिवहन विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 26.2.2013, जिसके द्वारा क्यूआरजी फाउण्डेशन, अलवर के 10 पिक अप वाहनों को अनन्य रूप से राजकीय स्कूलों में मिड डे मील वितरण के उपयोग हेतु कर में छूट प्रदान की गई है;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(77)परि/कर/मु/04 दिनांक 2.4.2013, जिसके द्वारा नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वाहन संख्या-आरजे-27-पीए-4085 को रोगियों, निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)परि/कर/मु/10/ दिनांक 7.5.2013, जिसके द्वारा दिनांक 9.5.2013 से 22.5.2013 तक अजमेर आने-जाने वाली अन्य राज्यों की बसों द्वारा देय कर की 3500/- रुपये से अधिक कर राशि में छूट प्रदान की गई है;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)परि/कर/मु/11 दिनांक 16.5.2013, जिसके द्वारा माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, भरतपुर के वाहन संख्या-एमएटी-445222बीजेडसी-20348 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.6(138)परि/कर/मु/10 दिनांक 16.5.2013, जिसके द्वारा बाड़मेर जन सेवा समिति, बाड़मेर की बस संख्या-एमएटी-453554सी-7-एच-32884 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है; एवं
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 27.6.2013, जिसके द्वारा अक्षयपात्र फाउण्डेशन, जयपुर के वाहन संख्या-आरजे-14पीबी-9953 एवं आरजे-14-पीसी-0291 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4) ;
- 2- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-3); एवं
- 3- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-2)

II- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-2011;
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012;
- 3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-2011;
- 4- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-2010;

III- श्री अशोक बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्त, विशेष योग्यजन राजस्थान का वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

IV- श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

- 1- मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 ; एवं
- 2- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) क अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2013-2014 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.2, 3.2.4, 3.4.3 एवं 3.4.7 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 223वाँ प्रतिवेदन ।
2. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.3, 3.1.4 एवं 3.3.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 224वाँ प्रतिवेदन ।

..4..

3. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.6 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 225वाँ प्रतिवेदन ।
4. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 1.8.4 व 3.4 वन, राजकीय उपक्रम, जेल एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 226वाँ प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति, 2011-12 के 141वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 227वाँ प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति, 2011-12 के 129वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 228वाँ प्रतिवेदन ।
7. जनलेखा समिति, 2010-11 के 61वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 229वाँ प्रतिवेदन ।
8. जनलेखा समिति, 2011-12 के 85वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 230वाँ प्रतिवेदन ।
9. जनलेखा समिति, 2011-12 के 153वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 231वाँ प्रतिवेदन ।
10. जनलेखा समिति, 2011-12 के 79वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 232वाँ प्रतिवेदन ।
11. जनलेखा समिति, 2011-12 के 149वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 233वाँ प्रतिवेदन ।
12. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.5 व 3.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 234वाँ प्रतिवेदन।
13. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 2.5 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 235वाँ प्रतिवेदन ।
14. जनलेखा समिति, 2011-12 के 82वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 236वाँ प्रतिवेदन ।

15. जनलेखा समिति, 2011-12 के 144वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 237वाँ प्रतिवेदन ।
16. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.5.4 आयोजना विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 238वाँ प्रतिवेदन ।
17. जनलेखा समिति, 2012-13 के 166वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 239वाँ प्रतिवेदन ।
18. जनलेखा समिति, 2012-13 के 167वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 240वाँ प्रतिवेदन ।
19. जनलेखा समिति, 2011-12 के 80वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 241वाँ प्रतिवेदन ।
20. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.2 व 3.5.2 गृह विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 242वाँ प्रतिवेदन ।
21. जनलेखा समिति, 2012-13 के 165वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 243वाँ प्रतिवेदन ।
22. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.4 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 244वाँ प्रतिवेदन ।
23. जनलेखा समिति, 2012-13 के 173वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 245वाँ प्रतिवेदन।
24. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 3.1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 246वाँ प्रतिवेदन।
25. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 1.5.1 वन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विधि एवं वित्त विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.4 वन, वित्त, उद्योग, विधि, पंचायती राज एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 247वाँ प्रतिवेदन ।
26. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 2.1 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 248वाँ प्रतिवेदन ।

27. जनलेखा समिति, 2012-13 के 172वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 249वाँ प्रतिवेदन ।
 28. जनलेखा समिति, 2012-13 के 198वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 250वाँ प्रतिवेदन ।
 29. जनलेखा समिति, 2012-13 के 164वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 251वाँ प्रतिवेदन ।
 30. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.1, 3.2.2 एवं 3.3.2 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 252वाँ प्रतिवेदन।
 31. जनलेखा समिति, 2011-12 के 150वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 253वाँ प्रतिवेदन।
 32. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 254वाँ प्रतिवेदन।
 33. जनलेखा समिति, 2010-11 के 62वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2013-14 का 255वाँ प्रतिवेदन ।
- (II) श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, विशेषाधिकार समिति, 2013-2014, राजस्थान विधान सभा की महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का दिनांक 19.7.2010 को महिला थाना, गांधीनगर का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान सुश्री रतना गुप्ता, थाना अधिकारी, महिला थाना (पूर्व), जयपुर द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, समिति के सभापति एवं सदस्यों के साथ किये गये अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार के फलस्वरूप सुश्री रतना गुप्ता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से संबंधित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन

का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ० रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय :-

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-17)

"लोक प्रयोजनों के लिये अर्जित या अर्जन के अधीन भूमियों के अंतरण पर और अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि में हित के अर्जन पर कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

6. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2013-2014 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2013-2014 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।

7. विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-38)

"राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

अजमेर विकास प्राधिकरण
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या- 37)

"अजमेर शहर तथा उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर अजमेर रीजन बनाने, अजमेर रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित तथा सत्वर विकास के लिये योजना बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिये योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-20) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(III) ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरु विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय,
चूरु विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-32)

"राजस्थान राज्य में ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरु की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरु अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-16) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(IV) राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013

- राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय,
झुंझुनूं विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-36)
- (I) श्री मांगीलाल गरासिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में झुंझुनूं में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- राजस्थान पशु चिकित्सा और
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
(संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-23)
- (I) श्री हरजीराम बुरड़क, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(II) जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-27)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(III) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-24)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-25)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(V) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री रामकिशोर सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-26)
- "राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VI) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-29)
- "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VII) वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-30)
- "वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन करने और वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VIII) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) "कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को और विधेयक, 2013 संशोधित करने के लिये विधेयक।"
(2013 का विधेयक संख्या-31)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IX) मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी "राजस्थान राज्य में मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
(सीकर) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-33)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(X) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
टांटिया विश्वविद्यालय, "राजस्थान राज्य में टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
श्रीगंगानगर विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-34)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(XI) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी
(संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-35)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 26 अगस्त, 2013

राजस्थान विधान सभा
ग्यारहवां सत्र
अनुपूरक कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2013

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरःस्थापन

(1) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-39)

"राजस्थान राज्य में जोबनेर में कृषि विज्ञान के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-40)

"राजस्थान राज्य में जोधपुर में कृषि विज्ञान के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(3) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-41)

"राजस्थान राज्य में कोटा में कृषि विज्ञान के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(4) मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय,
जोधपुर
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-42)

"राजस्थान राज्य में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(5) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी
(द्वितीय संशोधन) विधेयक,
2013 (2013 का विधेयक
संख्या-43)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर

दिनांक 27 अगस्त, 2013

नोट- ये आइटम मूल कार्य-सूची के आइटम संख्या-7(क)(IV) के पश्चात् लिये जायेंगे।